मानव-व्यापार फील्डबुक

अवैध यौन-व्यापार हस्तक्षेप हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.)

अवैध यौन-व्यापार के अपराधियों के अभियोग हेतु प्रक्रिया

2. <u>अवैध यौन-व्यापार के अपराधियों के अभियोग हेतु प्रक्रिया:-</u>

चरण 2.1 अवैध यौन-व्यापार की एफ.आई.आर. दाखिल की जाए- पुलिस थाना के थाना-प्रभारी एक एफ.आई.आर. के रूप में अवैध यौन-व्यापार से सम्बंधित अपराधों की जानकारी रिकॉर्ड करते हैं एवं घटना की जांच एवं गिरफ्तारी हेतु अग्रसर कार्यवाही की जाती है, ध्यान रहे की सभी सम्बंधित आपराधिक धाराएं एफ.आई.आर. में शामिल की गयी हों एवं शिकायतकर्ता को एफ.आई.आर. की एक प्रति मुहैया करायी गयी हो।

चरण 2.2 पीड़ितों की मजिस्ट्रेट/सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेशी - मजिस्ट्रेट चिकित्सकीय-जांच एवं आश्रय- गृहों में तत्काल रहने का आर्डर उपलब्ध करते हैं, सी.डब्ल्यू.सी. नाबलिकों का बयां दर्ज करती है एवं गृह सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षित प्रत्यर्पण सुनुश्चित करती है, महिला पुलिस अधिकारी चिकित्सकीय-जांच एवं आश्रय गृह तक पीड़ितों को एस्कॉर्ट करती है।

चरण 2.3 अभियुक्त अवैध यौन-व्यापार आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी- पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी करती है मामले की जांच हेतु अग्रसर कार्यवाही करती है।

चरण 2.4 अभियोजन की सहायता करने के लिए वकालतनामा और आवेदन का दाखिला- पीड़ितों के वकील न्यायलय के समक्ष पीड़ितों को प्रतिनिधित्व एवं अभियोजन की सहायता करने हेतु आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करते हैं। एक विधिक सेवा प्राधिकरण का वकील पीड़ित को विधिक सहायता प्रदान कर सकता है।

चरण 2.5 आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिका का विरोध- अपराधियों की ज़मानत याचिका ख़ारिज कराने हेतु पीड़ितों के वकील पुलिस एवं लोक अभियोजक के साथ काम करते हैं।

चरण 2.6 जांच के दौरान बयान दर्ज करना- पुलिस पीड़ित एवं गवाहों का बयां दर्ज करती है (इन-कैमरा; अगर आवश्यक हो तो), मजिस्ट्रेट 164 का बयां दर्ज करते हैं (सी.डब्ल्यू.सी.; अगर पीड़ित नाबालिक है), प्रोबेशन अधिकारी सप्लीमेंट्री बयां दर्ज करते हैं, बयां देने के वक़्त परामर्शदाताओं का रहना आवश्यक है।

चरण 2.7 अपराधियों को निकलना और वेश्यालय को बंद करवाना- मजिस्ट्रेट अभियुक्तों को अपराध स्थल से बाहर निकलने एवं अवैध यौन व्यापार स्थल पर हो रहे किसी भी प्रकार के व्यवसाय का लाइसेंस निरस्त करता है, मजिस्ट्रेट पीड़ितों को सुरक्षात्मक गृहों में या पुनर्वास सुविधाकेंद्रों में बहाल करने का आदेश पारित करता है, पुलिस वैश्यालाओं को बंद/सील करती है।

चरण 2.8 अवैध यौन-व्यापार पीड़ित को मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन- न्यायलय अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को मुवाबज़ा देने का आदेश पारित करे।

चरण 2.9 अवैध यौन-व्यापार आरोपपत्र की दाखिला- जांच अधिकारी (आई.ओ.) बिना देरी के 90 दिनों के भीतर आरोप पात्र दाखिल करता है (अगर संभव हो)।

चरण 2.10 ट्रायल के लिए उचित फोरम सुनिश्चित करना- आरोप पात्र दाखिल हिओने के बाद, न्यायाधीश केस का संज्ञान लेते हुए उसे संगें में लिए धाराओं के अंतर्गत उचित न्यायलय में ट्रायल हेतु स्थानातरित करते हैं।

चरण 2.11 अवैध यौन-व्यापार आरोपों का निर्धारणचरण - न्यायलय केस में आरोप का गठन समयसीमा के भीतर करते हैं (तथ्यों के हिसाब से सभी न्यायसंगत धाराएं) एवं अभियुक्त से उसकी दलील (प्ली) की जानकारी लेते हैं (की वो खुद को आरोपी मानता है या नहीं।

चरण 2.12 अवैध यौन-व्यापार सुनवाई में अभियोजन की सहायता करना- वकील को केस की हर तारीख पर लोक अभियोजक की सहायता करनी चाहिए एवं जब भी आवश्यकता हो, पीड़ित की हाजिरी सुनिश्चित करनी चाहिए।

चरण 2.13 अवैध यौन-व्यापार गवाहों को गवाही देने के लिए तैयार करना- न्यायलय को पीड़ित-संवेदनशील कदम लेने चाहिए ख़ास कर जब पीड़ित नाबालिक हो, सभी अवैध यौन व्यापार पीड़ितों एवं अन्य गवाहों को न्यायलय के समक्ष गवाही देने हेतु तैयार करने में वकील को लोक अभियोजक की हर संभव सहायता करनी चाहिए एवं अगर आवश्यक हो तो कैमरायुक्त कार्यवाही की मांग करनी चाहिए।

चरण 2.14 अंतिम निर्णय की प्राप्ति- न्यायलय अपने अंतिम आदेश की नक़ल प्रति सभी पक्षों को मुहैया कराती है।

चरण 2.15 अवैध यौन-व्यापार की अपील दाखिल करना- अगर कोई पक्ष अपील दायर करते है तो न्यायलय उसपर न्यायसंगत विचार करता है।

चरण 2.1 अवैध यौन-व्यापार की एफ.आई.आर. दाखिल की जाए	
समयसीमा: यदि एफ.आई.आर. बचाव के बाद दर्ज की जा रही हो, तो आदर्श रूप से इसे बचाव करने के 48 घंटे के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अवैध यौन-व्यापार अपराध की एफ.आई.आर. उस पुलिस स्टेशन में दाखिल करनी चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में अवैध यौन-व्यापार की घटना घटी है।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफ.आई.आर. सभी लागूँ अवैध यौन-व्यापार अपराधों और संबंधित अन्य अपराधों के सहित किसी भी अन्य कानून के तहत दायर की गयी है।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायत पुलिस स्टेशन के समक्ष दायर की गई है और इसमे सभी प्रासंगिक अपराधों को शामिल किया गया है। याद रखें कि जब संदेह हो कि अगर उत्तरजीवी एक नाबालिग है उसके साथ इक नाबालिग के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए ।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायतकर्ता सी.आर.पी.सी. की धारा 154(1) के तहत एक या एक से अधिक संज्ञेय अपराधों की शिकायत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष करे. यौन-व्यापार संबंधित अपराधों के संबंध में एफ.आई.आर. के पंजीकरण के लिए शिकायत या जानकारी कोई भी दायर कर

यदि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने में असफल हो या मना करे तो गैर सरकारी संगठन को अधिवक्ता की मदद लेनी चाहिए ।	सकता है। अधिवक्ता सरकारी अधिकारियों, पीड़ित को, पीड़िता के परिवार, या किसी अन्य उपस्थित को एफ.आइ.आर दायर करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है । **प्राथमिकी में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल की जानी चाहिए:** • दिनांक और बचाव का स्थान • बचाव का समय, • पुलिस स्टेशन से घटना स्थल की दूरी • बचाए गये पीड़ितों के नाम, पीड़ित की उम्र, • जगह जहां अपराध घटित हुआ • वैश्यालय मालिक/ तस्कर का नाम और पता (यदि ज्ञात हो) • घटित हुए अपराधों का विवरण • बचाव स्थल और जब्त सामग्री का का संक्षिप्त विवरण • बचाव टीम का विवरण जिसने अभियान चलाया अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दी गई जानकारी सी.आर.पी.सी. की धारा 154 के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफ.आई.आर.") के रूप में पुलिस थाने में अधिकारी प्रभारी द्वारा दर्ज की गई है। यदि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जा रही है तो उस स्थिति में उठाए जाने वाले कदम: यदि जानकारी अंकित नहीं की जा रही है या प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है, तो अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी. की धारा 154 (3) के अनुसार कार्यवाही करने के लिए लिखित रूप में, संबंधित पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक द्वारा सूचना भेजनी चाहिए। यदि सूचना अभी भी एफ.आई.आर. के रूप में दर्ज नहीं हो रही हो, तो अधिवक्ता को धारा 156 (3) सी. आर. पी. सी. के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष ये आदेशित करने के लिए आवेदन करना चाहिए कि जानकारी अभिलिखित की जाए और जांच शुरू की जाए। अगर जानकारी अभी भी एफ.आई.आर. के रूप में दर्ज नहीं की गयी है तो अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी. की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी चाहिए। यदि एफ.आई.आर. में अपराधों की पहचान तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है, तो अधिवक्ता को अतिरिक्त अपराधों के शामिल किए जाने के लिए हलफनामा या दूसरे सहायक दस्तावेज़ों से समर्थित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

ध्यान देने योग्य बिंदु:

प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई भी शिकायत प्रस्तुत कर सकता हैं: कोई भी व्यक्ति यौन-व्यापार के अपराध के बारे में जानकारी (या शिकायत) प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी, गैर सरकारी संगठन, पीड़ित के माता पिता / रिश्तेदार, पीड़ित को मूलत: संरषण देने वाला, और कोई भी व्यकित जिसे उस अपराध की जानकारी हो और पीड़ित स्वयं हो सकता है।

जब बचाया गया व्यक्ति जो अब तो वयस्क है, लेकिन व्यापार किए जाने के समाय बच्चा था तो उस स्थिति में कानून के उन वर्गों की धाराओं को लगाना जाना चाहिए जो कि बच्चों के अवैध व्यापार के लिए लागू होती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 372, 373 देखें।

जांच अधिकारी (आइ.ओ.) का नाम एफ.आई.आर. में दर्ज किया जाना चाहिए: आइ.ओ. का नाम पद के साथ-साथ एफ.आई.आर. में स्पष्टता से दर्ज किया जाना चाहिए। आइ.ओ. परीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसलिए आइ.ओ. का ब्यौरा स्पष्ट रूप से उलेखित होना चाहिए।

सी.आर.पी.सी. की धारा 157 के तहत जांच के लिए दबाव दालें: अधिवक्ता को पुलिस जांच को आगे जारी रखने हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 157 के तहत कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के तहत संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सके। अगर पुलिस जांच के साथ आगे नहीं बढ़ती है, तो अधिवक्ता को जाँच कार्यवाही सी.आर.पी.सी. की धारा 156 (3) तहत शुरू करने के आदेश देने हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत जुड़े आपराधिक मामलों में: अगर मामले में अपराध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत शामिल है, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले में डीएसपी या उच्चतर रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच की जाए और 30 दिनों के भीतर पूरी हो जाए।

अधिक जानें और कार्रवाई करें

एफ.आई.आर. दर्ज करना अनिवार्य कर्तव्य: एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामलों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीआरपी की धारा 154 के तहत बाध्य है। जानकारी देने वाले व्यक्ति को भी एफ.आई.आर. में हस्ताक्षर करने होते हैं [1]।

एफ.आई.आर. से संबंधित निर्णयों के बारे में अधिक जानने के लिए, अध्याय 5 देखें

नमूना दस्तावेज और व्यवहारिक सहायता:

- अतिरिक्त संदर्भों के साथ प्रासंगिक प्रकाशनों के लिए परिशिष्ट 33 का संदर्भ लें।
- सी.आर.पी.सी. की धारा 157 के तहत जांच शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156 (3) के तहत आवेदन के लिए परिशिष्ट 22A का संदर्भ लें।

जब पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज करने से मना करे तो ऐसी स्थिति में उपयोग के लिए प्रारूप: एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 200 और 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन: ये जानने के लिए कैसे सी.आर.पी.सी. की धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी शिकायत का संज्ञान लेने के लिए आवेदन पत्र का मसौदा तैयार किया जाता है और साथ ही कैसे धारा 156 (3), सी.आर.पी.सी. के तहत मॅजिस्ट्रेट के समक्ष एफआइआर दर्ज कराने हेतु एसएचओ को निर्देशित करने के लिए आवेदन करना है परिशिष्ट 22A का संदर्भ लें।

सी.आर.पी.सी. की धारा 172(2) के तहत केस डायरी को मंगाने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन: केस डायरी, जिसे पुलिस ने प्रारंभिक जांच में सहायता करने के लिए तैयार किया है, धारा 172 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसेमंगाने का आवेदन का मसौदा देखने के लिए परिशिष्ट 25 को देखें ।

[1] धारा 154 (1) सीआरपीसी

एफ.आई.आर.: यह देखने के लिए कि एफ.आइ.आर. कैसे दिखती है, अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें और जे.वी.आइ के साथ संपर्क में रहें। किसी प्राथमिकी को दर्ज करने हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर करने के लिए आवेदन का मसौदा प्राप्त करने हेतु जे.वी.आइ. से संपर्क करें।

चरण 2.2 बचाए गये पीड़ितों की मजिस्ट्रेट/सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेशी

समयसीमा: जितना जल्दी संभव हो, बचाए गये व्यक्ति को मजिस्ट्रेट / सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष बचाव अभियान पूरा होने के 24 घंटे के भीतर प्रकट करना चाहिए

गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर-सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए की बचाए गये वयस्कों को मजिस्ट्रेट के समक्ष जबकि बचाए गये नाबालिगों को बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी) के समक्ष पेश किया जाए।	अधिवक्ता को अधिकारियों को सलाह देनी चाहिए की आयूं के संबंध में संदेह होने पर पीड़ितों को नाबालिग मानना चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़ितों के साथ ही उपस्थित रहना और सुनिश्चित करना है कि पीड़ितों के साथ अत्यंत संवेदनशीलता और गरिमापूर्ण तरीके व्यवहार किया जाए। बचाए गये पीड़ितों की चिकित्सीय जांच के लिए गैर सरकारी संगठन के देखरेख कार्यकर्ताओं को महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ अवश्य मौजूद रहना है और उसके बाद फिर जिन आश्रय ग्रहों में उन्हे रखा जाना है वहाँ सुरक्षित पहुचना सुनिशित करना चाहिए।	अधिवक्ता को बच्चे का सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। अगर पीड़िता की उम्र का पता लगायाजाना संभव नहीं हो तो अधिवक्ता को ये निर्णय लेने के लिए पुलिस की सहायता करनी कि क्या पीड़ित को सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष पेश किया जाए या नही. संदेह की स्थिति होने पीड़ित के साथ एक नाबालिग के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष पीड़िता के बयान केस डायरी में अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए। अधिवक्ता पुलिस को ऐसा करने के लिए सलाह दे सकता है। अधिवक्ता को वयस्क उत्तरज़ीवी का आई.टी.पी.ए. विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना और महिला चिकित्सक द्वारा एकचिकित्सा परीक्षा तुरंत आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। विशेष अदालत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशगी चिकित्सा परीक्षा और सरकारी या निजी लाइसेंसशुदा आश्रय घर में उत्तरजीवी लोगों की अस्थायी निवास की व्यस्था के लिए आदेश पारित सुनिश्चित करने के लिए होती है।

विचारणीय बिंदु

यदि बचाव कार्य रात्रि में आयोजित किया जाता है: यदि बचाव रात्रि में किया जाता है तो, रात्रि ड्यूटी मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जा सकता है। यह जानना उचित होगा कि कौन रात्रि ड्यूटी मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट को संपर्क करने की क्या प्रक्रिया है।

कस्टडी आवेदन का विरोध: अधिवक्ता को नाबालिगों के रिश्तेदारों या माता-पिता द्वारा उन मामलों में दायर किए गये कस्टडी आवेदन का विरोध करना चाहिए जब भी या तो घर में हिंसा होने का अंदेशा हो या जब एक गृह सत्यापन रिपोर्ट लंबित हो।

बचाव दल के संबंध में सुरक्षा के उपाय: किसी भी परिस्थिति में बचाव दल को पुलिस स्टेशन में हिरासत में ना रखा जाए या आगे आने वाले जोखिमो का सामना करने केलिए उनकी उपेक्षा ना की जाए।

जब बचाया गया पीड़ित एक नाबालिग की तरह प्रतीत हो: बचाए पीड़िता की उम्र के बारे में अनिश्चितता होने के मामले में बचाए व्यक्ति को बाल कल्याण समिति को भेजा जाना चाहिए। जे.जे अधिनियनम की धारा 94 के अनुसार सी.डब्ल्यू.सी अपने समक्ष प्रस्तुत कराए व्यक्ति के बाह्याकृति के के आधार पर, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधानों के तहत (सबूत देने के प्रयोजन के अतिरिक्त) अगर महसूस करे कि यह व्यक्ति बच्चा है तो सी.डब्ल्यू.सी इस धारणा को अंकित करेगी और बच्चे की संभावित उम्र को इंगित करते हुए बिना आगे उम्र के पुष्टि का इंतजार किए बिना धारा 36 (देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे की जांच) के तहत जांच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सी.डब्ल्यू.सी को उसके समक्ष प्रस्तुत किए गये व्यक्ति की उम्र के बारे में यदि कोई संदेह है, तो वह व्यक्ति की उम्र का निर्धारण करने के लिए साक्ष्य की मांग करेगा; जिनमे होना चाहिए:-

- किसी स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तिथि, या मेट्रिक्युलेशन या संबंधित परीक्षा बोर्ड से समकक्ष प्रमाण, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में
- किसी नगर निगम या नगर निगम के प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;
- केवल (i) और (ii) के ना होने आयु का निर्धारण सी.डब्ल्यू.सी के आदेश पर आयोजित अस्थियन हड्डी परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम उम्र निर्धारण चिकित्सा परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है बशर्ते कि यह इस तरह के आदेश पारित करने के 15 दिन के अंदर पूरा हो गया है।

मजिस्ट्रेट या सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष प्रस्तुति और अपराधी की गिरफ्तारी: चरण 2.2 और 2.3 दोनों कदम एक साथ उठाए जा सकते हैं, और कुछ मामलों में (उदाहरण के लिए, जब बचाव रात में किया जाता है) 2.3 कदम कदम 2.2 से पूर्व लिया जाएगा। यहाँ गैर सरकारी संगठन के व्यक्तियों के लिए आदर्श स्थिति ये है कि वे इस तरह से टीम को विभाजित करें कि एक टीम गिरफ्तारी की साइट पर मौजूद रहे और और अन्य मजिस्ट्रेट या सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष मौजूद रहे।

और जानें और कार्रवाई करें

देखभाल और संरक्षण का जरूरतमंद बच्चा: एक बचाए गये बच्चे को देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे के रूप में विचरण किया जाएगा और जिले की कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा। सी.डब्ल्यू.सी के पास नाबालिग की उम्र निर्धारण करने का अधिकार है। और अधिक जानकारी के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारायें 2(14), 31, 36 और 94 पढ़ें। सी.डब्ल्यू.सी. उसके समक्ष लाए गये बच्चे की उम्र का निर्धारण धारा 94 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार करेगा।

ग्रह जाँच रिपोर्ट: बच्चे को सुरक्षित अभिरक्षा देने के लिए निर्णय से पूर्व सी. डब्ल्यू. सी. ग्रह जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश देगा और प्राप्त रिपोर्ट की स्वयं जाँच करेगा। ग्रह जाँच रिपोर्ट का प्रासूप संलानक 29 में दिया गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 33 के अनुसार सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा ग्रह जाँच के लिए दिए गये आदेश में जाँच करने वाले गैर सरकारी संगठन के नाम का स्पष्ट उल्लेख करना होता है।

बच्चे के माता पिता की अभिरक्षा में देने के लिए सी.डब्ल्यू.सी के आदेश: सी.डब्ल्यू.सी. बच्चे के कल्याण और पीड़ित को बहाल करने के लिए जिम्मेदार है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 37 के तहत सी.डब्ल्यू.सी बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक जांच रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत बच्चे की इच्छा यदि मामले में बच्चा राय लेने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व है पर विचार करते हुए उसके माता पिता या अभिभावक की अभिरक्षा में बच्चे की मुक्ति के आदेश दे सकता है। **गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों और अधिवक्ता को बच्चे को उसके माता-पिता/ अभिभावक को सौंप दिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए कि, और यदि उन्हे आशंका है या सुनिश्चित जानकारी है कि सरंक्षण की माँग करने वाला व्यक्ति बच्ची को कहीं दोबारा से यौन-व्यापार में न धकेल देगा तो उसकी रिहाई का विरोध अवश्य करना चाहिए।**

किसी संदिग्ध तस्कर को किसी बच्चे या नाबालिग की रिहाई दिए जाने का कैसे विरोध करें इस बारे में जे.वी.आइ अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है

चरण 2.3 अवैध यौन-व्यापार आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी	
समयसीमा: कथित आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत किया जाना चाहिए, या बचाव के 7 दिनों के भीतर की जानी चाहिए।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को तुरंत पुलिस की मदद उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में करनी चाहिए जिन पर अवैध यौन-व्यापार अपराधों के आरोप लगाया गया है।	अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी.के संगत प्रावधानों के तहत आरोपी की तत्काल गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की सहायता करनी चाहिए और जांच के साथ तेजी से आगे बढ़ने के लिए पुलिस को प्रोत्साहित करना चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन को अगर उत्तरजीवियों को आरोपियों के बारे में कोई जानकारी है तो उस जानकारी को तुरंत पुलिस और अधिवक्ता को सूचित किया जाना चाहिए।	अधिवक्ता को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गिरफ्तारियां और आगे की जांच को कानून के अनुसार की गयी है। अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी. की धारा 157 के अनुसार जांच को आगे बढ़ाने के लिए और एक संज्ञेय अपराध करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करें करने के लिए पुलिस को प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिवक्ता को आईओ को सलाह देनी चाहिए की आरोपी को तुरंत बिना किसी देरी के गिरफ्तार करे।

विचारणीय बिंदु

एक दोषी महिला की गिरफ्तारी के मामले में: अधिवकता को पुलिस सलाह को सलाह देनी चाहिए की वे धारा 46 (4) सी.आर.पी.सी.में निर्धारित प्रक्रियाओं की पालन करने करें जिसमे कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, जहाँ पर महिला पुलिस अधिकारी नें क्षेत्राधिकार दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो, किसी भी महिला को, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नही किया जाना चाहिए। एक दोषी महिला की तलाशी केवल डब्ल्यू.पी.सी. द्वारा की जानी चाहिए।

संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध: सभी अपराध या तो गैर संज्ञेय या संज्ञेय हैं। यदि कोई अपराध संज्ञेय के श्रेणी में है, तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकते हैं और गैर- संज्ञेय अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है. सी.आर.पी.सी. की पहली अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण उनकी संज्ञेयता के आधार पर किया गया है।

और जानें और कार्रवाई करें

गिरफ्तारी करने के लिए आधार: सी.आर.पी.सी. की धारा 41 के तहत एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है अगर वहां पर निम्नलिखित में से कोई भी आधारभूत उद्देश्य उपलब्ध हों[2] :

1. गिरफ्तार व्यक्ति को आगे किसी अपराध से रोकने के लिए; या
2. अपराध की उचित जांच के प्रयोजन के लिए; या
3. गिरफ्तार व्यक्ति को सबूतों के लापता होने से रोकने या सबूत के साथ छेड़छाड़ के कारण; या

[2] रतनलाल व धीरजलाल, दंड प्रक्रिया संहिता;19 एड; मनोहर, वी आर; प.103

4. गिरफ्तार व्यक्ति को या एक गवाह के लिए किसी भी तरह का लालच, धमकी या वादे देने से रोकने के लिए जिसका उद्देश्य गवाह को डेकॉय देने से या पुलिस अधिकारी को अपना बयान देने या अदालत के समक्ष गवाही देने से रोकने के के प्रयोजनों के लिए किया गया हो; या

5. गिरफ्तार व्यक्ति की उपस्थिति अदालत के सामने सुनिश्चित करने के लिए जब भी अदालत की कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो।

"हिरासत" और "गिरफ्तारी" शब्द का मतलब एक नही है। कानूनी भाषा में, एक दंडनीय अपराध के संबंध में किसी गिरफ्तारी का मतलब है किसी प्राधिकारी, जो क़ानूनन सक्षम है, द्वाराकिसी व्यक्ति को हिरासत में लेना जिसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को पकड़ना या किसी आपराधिक आरोप का उत्तर देने के लिए व्यक्तिको हिरासत में लेना है या जिससे किसी अपराध को घटित होने से रोकना है।

चरण 2.4 अभियोजन की सहयता करने के लिए वकालतनामा और आवेदन का दाखिला

समयसीमा: अभियोजन की सहायता करने के लिए वकालतनामा और आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया में प्राथमिकी दायर करने की तारीख से 1 से 7 दिनों के बीच का समय लग सकता है

गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर-सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध यौन-व्यापार के पीड़ित व्यक्ति द्वारा अधिवक्ता को आवश्यक जानकारी प्रदान करें और अधिवक्ता से मिलते समय प्रशिक्षित महिला सलाहकार या महिला कानूनी संरक्षक पीड़ित के साथ मौजूद हों।	अधिवक्ता को अवैध यौन-व्यापार के पीड़ित की सहमति प्राप्त करके उनके कानूनी वकील के रूप में एक वकालतनामा दाखिल करना चाहिए और अभियोजन की सहायता के लिए धारा 301(2) सी. आर.पी.सी. के अंतर्गत एक आवेदन दायर करनी चाहिए।
टिप्पणी	
पीड़ित यदि बच्चा हो तो आश्रय घर की देखभाल करने वाले को वकालतनामा पर हस्ताक्षर करना चाहिए और गैर-सरकारी संगठनको इस प्रक्रिया के दौरान अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	उत्तरजीवी के प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता को वकालतनामा की एक प्रति जल्द से जल्द प्राप्त कर लेनी चाहिए जैसे ही पीड़ित सुरक्षात्मक निगरानी में व्यस्थित हो गयी हो। एक पीड़ित बच्चे के मामले में, आश्रय घर की देखभाल करने वाले को वकालतनामा पर हस्ताक्षर करना चाहिए । वकालतनामा वह दस्तावेज़ है जो किसी अधिवक्ता के लिए उसके क्लाइंट की ओर से कार्रवाई करने का अधिकार देता है। अधिवक्ता को वकालतनामा को प्राप्त करने के फ़ौरन उपरांत सी.आर.पी.सी. की धारा 301 (2) के तहत मुकदमा चलाने की सहायता के लिए उसे एक शपथ पत्र के साथ-साथ न्यायालय के समक्ष दाखिल करना चाहिए।

विचारणीय बिंदु

एक वकील मजिस्ट्रेट के समक्ष बचाए गए लोगों की ओर से निम्नलिखित आवेदन कर सकते हैं:

- **बचाई गयी पीड़िता की चिकित्सीय जांच के लिए:** बचाई गयी पीड़िता की उम्र और देह शोषण का पता लगाने के लिए अधिवक्ता को उचित आवेदन पत्र आई.टी.पी.ए. की धाराओं 15 (5-A) के तहत दाखिल कर उसकी चिकित्सीय जांच के आदेश हेतु समुचित आवेदन दाखिल करना चाहिए।
- **ये सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित एक सुरक्षित स्थान में रखा गया है गृह जांच रिपोर्ट (एच.आई.आर.) प्रस्तुत की जाती है:** अधिवक्ता को आई.टी.पी.ए. की धारा 17 के अंतर्गत समुचित आवेदन करना चाहिए जिसमे बचाए गये

पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर रखना सुनिश्चित करने के लिए एक एच.आई.आर. को दाखिल करवाना और संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने हेतु आदेशों की माँग करनी चाहिए।

- **ये सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित को एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है:** अधिवक्ता को आई.टी.पी.ए. की धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित आवेदनों को दाखिल करना चाहिए जिसमे अस्थायी रूप से संरक्षण ग्रह में रखने या देखभाल और संरक्षण आदि प्रदान करने वाले आदेश पारित करने की माँग की जाए।

और जानें और कार्रवाई करें
नमूना दस्तावेजों और रिहर्सल सहयता: अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए आवेदन करने के एक प्रारूप देखने के लिए परिशिष्ट 24 का संदर्भ लें। परिशिष्ट में वकालतनामा के लिए भी प्रारूप शामिल है। **नमूना दस्तावेज और व्यवहारिक सहायता:** निम्नलिखित दस्तावेजों में प्रासंगिक प्रारूपों निहित हैं: • अदालत से अनुरोध के लिए कि वे अभिरक्षा आवेदन को सी.डब्ल्यू.सी. को सन्दर्भित कर दें से संबंधित प्रारूप **परिशिष्ट 27** में देखा जा सकता है। • एचआइआर के लिए प्रारूप **परिशिष्ट 29** में देखा जा सकता है। धारा 15 (5-A), 17 और आई.टी.पी.ए. के 19 के तहत आवेदन पत्र के प्रारूप के लिए जे.वी.आइ से संपर्क करें।

चरण 2.5 अपराधी की जमानत याचिका का विरोध	
समयसीमा: आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करने के लिए आवेदन जमानत याचिका दर्ज करने के तुरंत बाद दायर की जानी चाहिए.	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका के संबंध में प्राप्त किसी भी सूचना को तुरंत और सक्रिय होकर अधिवक्ता को पहुचना चाहिए।	अधिवक्ता को मौखिक रूप से और लिखित आवेदन के द्वारा जमानत का विरोध करने के सभी जमानत सुनवाई में भाग लेने चाहिए और यदि जमानत होती है तो उसके लिए कठोर शर्तें निर्धारित कराने हेतु बहस करनी चाहिए ।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को जब भी आरोपियों की जमानत याचिका के बारे में कोई जानकारी हो तो वे तुरंत अधिवक्ता को सूचित करें। गैर सरकारी संगठन द्वारा अभियोजन की मदद के उदेश्य से अधिवक्ता को विधिवत हस्ताक्षरित वकालतनामा और शपथ पत्र (आवेदन) अभियोजन की मदद के उद्देश्य के लिए, सभी आवश्यक समर्थन अधिवक्ता को प्रदान करना चाहिए, अगर ऐसा पहले से ही नहीं किया गया हो।	उस मामले में जब आरोपियों को एक या एक से अधिक गैर जमानती अपराधों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो अधिवक्ता के द्वारा अपराधी को जमानत देने का लिखित रूप में विरोध करना चाहिए। अधिवक्ता प्रत्येक रिमांड सुनवाई में भाग ले और जमानत नामंजूर हो जाना सुनिश्चित करे। अगर किन्ही हालातों में आरोपी को जमानत दी जाता है, अधिवक्ता ऐसी परिस्थितियों के घटित होने के बारे में जागरूक रहे जिनसे कि उचित मंच के समक्ष जमानत के निरस्तीकरण मंजूर कराया जा सके। मामलों में जहां पर आरोपी अदालत में पेश होने में विफल रहता है, या बचना चाहता है या न्याय की कार्यवाही से बचने

	के लिए प्रयास करता है, या न्याय की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने में बाधा पंहुचाता है (यानी, आरोपी को धमकाता है या गवाह को रिश्वत देता है, सबूत के लापता होने का कारण बनता है, या जांच के साथ हस्तक्षेप करता है), तो अधिवक्ता को एक आवेदन गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए और जमानत रद्द करने के लिए अवश्य दायर करना चाहिए।

विचारणीय बिंदु

रिमांड सुनवाई में भाग लें: रिमांड आरोपी व्यक्ति के ट्रायल से पहले पुलिस अथवा न्यायिक हिरासत के संदर्भ में है इन रिमांड सुनवाइयों पर कथित अपराधी की हिरासत का निर्धारण किया जाता है और इस स्तर पर सामान्य रूप से जमानत दिए जाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अधिवक्ता प्रत्येक रिमांड सुनवाई में भाग लें और सुनिश्चित करें की जमानत को अस्वीकार किया जाए।

जमानत कब रद्द की जा सकती है? उन मामलों में जहां पर आरोपी अदालत में पेश होने में विफल रहता है, या बचना चाहता है या न्याय की कार्यवाही से बचने के लिएप्रयास करता है, या न्याय की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने में बाधा पंहुचाता है (अर्थात, आरोपी गवाहों को धमकाता है या रिश्वत देता है, सबूत के लापता होने का कारण बनता है, या जांच के साथ हस्तक्षेप करता है), तो अधिवक्ता को गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए और जमानत रद्द करने के लिए अवश्य अर्जी दाखिल करना चाहिए।

अधिवक्ता को इन हालातों का आंकलन कर ऐसे आवेदनों को पेश करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। अधिवक्ता के पुलिस अधिकारी और लोक अभियोजक के साथ आपसी संबंध: आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर नवीन समाचार प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता को उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी और सरकारी वकील के साथ करीबी संबंध बनाने चाहिए। उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों और सरकारी वकील के साथ करीबी संबंध बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जब गैर सरकारी संगठन के अधिवक्ता की जानकारी के बिना ही किसी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अपराधी को जमानत प्रदान कर दी जाती है जिससे अपराधी को फरार होने और विचाराधीन मामले को लंबित करने का मौका मिल जाता है। यदि अधिवक्ता किसी कारणवश किसी जमानत याचिका में सुनवाई से वंचित रह जाता है, तो सामान्यतया पूरा मामला ही गवाँ दिया जाता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वह पी.पी. की सहायता के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और विचाराधीन मामले में शामिल हितधारकों के साथ संबंध बनाए रखें।

उच्च न्यायालय में जमानत की सुनवाई की स्थिति की जाँच: अधिवक्ता को दैनिक रूप से उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध जमानत याचिका की निगरानी करनी चाहिए। अधिवक्ता को जमानत अदालत में नियमित रूप से जाकर देखना चाहिए कि क्या कोई जमानत मामला सुनवाई पर तो नही लगा है।

और जानें और कार्रवाई करें

जमानत का विरोध करने के लिए आवेदन के प्रारूप के लिए **परिशिष्ट 26** देखें।

जमानत स्वीकारने का विरोध: जमानत विरोधी संदर्भ पत्र के लिए **परिशिष्ट 13A** को देखें। यह परिशिष्ट विभिन्न अदालतों में जमानत के विरोध के संबंध में क्या कहा गया संबंधी जानकारी प्रदान करता है।

जमानत रद्द करना: जमानत रद्द करने के लिए दिए गये आधार उधारण स्वरूप हैं और व्यापक नहीं हैं[3]। आम तौर पर अन्य बातों के साथ इन आधारों में शामिल हैं[4]:

[3] असलम बाबालाल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य; एआइआर 1993 एस सी 1

[4] महंत चांदनाथ योगी बनाम हरियाणा राज्य 200 (1) एस सी सी 326; दौलतराम बनाम हरियाणा राज्य 1995(1) एस सी सी 349; असलम बाबालाल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य; एआइआर 1993 एस सी 1; *रघुवीर सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य*; 1987 एआइआर 149, 1986 एससीआर (3) 802; सुदीप्तो सरकार और वी आर मनोहर, सरकार आपराधिक प्रक्रिया के कानून पर, खंड 2, (9 वीं संस्करण 200 , पुनर्मुद्रण 2009), लेक्सएस नेक्सएस बटरवर्थ्स वाधवा नागपुर, पेज 1891

(1) **हस्तक्षेप या न्यायकरण की प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप करना अथवा हस्तक्षेप का प्रयास करने में निम्न आधार हो सकते हैं, जिसमे कि ये शामिल है:**

a. जांच की कार्यवाही के दौरान हस्तक्षेप
b. सबूत या गवाह के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास
c. गवाहों को धमकाना, भयाभीत करना या उन्हे भ्रष्ट बनाना, और इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होना जो कि एक सुचारू जांच को प्रभावित करती है

(2) **न्ययिका प्रक्रिया से बचने का प्रयास करता है, जिसमे निम्नलिखित शामिल हैं:**

a) देश छोड़ देता है या देश से भागने का प्रयास करता है
b) भूमिगत हो जाता है या जांच एजेंसी के लिए अनुपलब्ध हो जाता है
c) जमानतियों की पहुंच से परे चला जाता है।

(3) स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर अपराधी उन्ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होता है।

इसलिए, प्रदान की गई जमानत को बाद में गुणदोष के आधार पर रद्द किया जा सकता हैं अगर ऊपर दी गयी आकस्मिक परिस्थितियाँ मौजूद हों।

चरण 2.6 जांच के दौरान बयान दर्ज करना	
समयसीमा: जांच के दौरान बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में 1 और 60 दिनों के बीच ले सकता है	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को पीड़ितों की सहायता उनके गवाह बयान दर्ज करते समय करनी चाहिए और इस प्रक्रिया के दौरान पीड़ित को गुणवत्ता परामर्श सहायता भी प्रदान करनी चाहिए।	अधिवक्ता को धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत महत्वपूर्ण गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग में पुलिस को सलाह देनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए की पीड़ितों के बयान मॅजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सी.आर.पी.सी.के अंतर्गत रेकॉर्ड किया गया है।
टिपण्णी	
गैर सरकार संगठन के प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहकर सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को ग़लत बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है।	अधिवक्ता को इस प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों की जाँच आरोपियों और अन्य गवाहों से अलग रहकर चलना सुनिश्चित करना चाहिए। उन लोगों को जिन्हे मामले के बारे में जानकारी है उन्हे मौखिक परीक्षित करने और उनके बयानों को सी.आर.पी.सी. की धारा 161 के तहत दर्ज करने हेतु अधिवक्ता को पुलिस को प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजिस्ट्रेट के समक्ष सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान तभी दर्जकिया जाना चाहिए जब उसे पर्याप्त सलाह मशवरा प्राप्त हो और पीड़ित इसके लिए तैयार और सक्षम हों। पीड़ित का धारा 164 के बयान आदर्श रूप से तभी लिया जाना चाहिए जब उसे पर्याप्त परामर्श प्रदान किया गया हो और अधिवक्ता आश्वस्त हो कि पीड़िता का बयान ट्रायल के पक्ष में ही जाएगा।
विचारणीय बिंदु	
बयान: कानूनी केसवर्क से संबंधित तीन बयान, 161 के बयान, अनुपूरक बयान और 164 के बयान हैं। धारा 161 और 164 में दिए गये बयान को दंड प्रक्रिया संहिता वर्णित करता है। इसका उद्देश्य है कि सत्य बयान लिए जाएँ और इनका प्रायोजन ये जानकारी लेना है कि कैसे उत्तरजीवी को व्यापार करके ठिकाने वाले स्थल पर पहुँचाया गया और साइट की स्थिति क्या थी। पीड़ित का बयान ही गवाही के लिए परीक्षण के दौरान लिया गया बयान अपराधी कि जवाबदेही साबित करने का आधार हो सकता है।	

गैर सरकारी संगठन और अधिवक्ता की भूमिका कमोवश सभी तीनो बयानों में एक सी है जो कि उत्तरजीवी का समर्थन करना, उसे सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करना और और बयान प्राप्त करने में पुलिस अधीक्षक/परिवीक्षा अधिकारी की सहायता करना है।

धारा 161 के तहत बयान: पुलिस बचाव की रात को 161 के बयान ले सकती है। अगर 161 बयान गलत है या पीड़ित नए तथ्यों को बताता है तो, परिवीक्षा अधिकारी के साथ पुलिस एक अतिरिक्त बयान प्राप्त कर सकती है, यानी एक अनुपूरक बयान प्राप्त कर सकते हैं। 164 के बयान का लाभ यह है कि उत्तरजीवी मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान बाशपथ देता है और इसलिए इसकी विश्वसनीयता 161 के बयान से अधिक है। उत्तरजीवी मॅजिस्ट्रेट के समक्ष अकेले में बयान देगा और मॅजिस्ट्रेट ट्रायल आरंभ होने तक इसे सील बंद रखेगा। 161 बयानों की रिकॉर्डिंग के दौरान उपस्थित होना अर्थात बचाव के समय अर्थात छापा मारने वाली रात उपस्थित होना सर्वोत्तम तरीका है जो कि पुलिस की सहायता और उत्तरजीवी के पक्षसमर्थन के लिए है।

धारा 164 के तहत बयान: अधिवक्ता के लिए सबसे उत्तम तरीका है वो पीड़ित को 164 के बयान के महत्व के बारे में जानकारी दे। अधिवक्ता को 164 बयान प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पीड़ित को सूचित करना चाहिए। इसके अलावा, पीड़ित को मजिस्ट्रेट के समक्ष ठीक से बयान देने के लिए तैयार करनी चाहिए। इस के आधार पर, 164 बयान देने के लिए, अधिवक्ता और गैर सरकारी संगठन स्टाफ को पीड़ित की इच्छा और सहयोग का आकलन करना चाहिए। अगर वह 164 बयान देने के लिए तैयार है, तो अधिवक्ता को पुलिस को सूचित करना चाहिए, जो की अदालत में आवेदन कर देगी. 164 बयान इन-कैमेरा दर्ज किया जा सकता है।

इन- कैमरा कार्यवाही: एक गवाह का बयान धारा 164 के तहत ऐसे माहौल में जिसमें किसी प्रकार का भय नही हो**,** एकांत में दर्ज किया जा सकता है। इस तरह की एक प्रार्थना धारा 327 (2) सी.आर.पी.सी. के तहत और ***साक्षी Vs. बनाम भारत संघ***[5] मामले का हवाला देते हुए ई.ओ. द्वारा की जा सकती है। ***स्टेट ऑफ पंजाब vs. गुरमीत सिंह***[6] मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अदालत ने कहा है कि बलात्कार के मामलों में मामलों की सुनवाई एकांत में और जहाँ तक संभव हो महिलाओं के न्यायाधीशों द्वारा संचालित की जानी चाहिए।

यदि पुलिस धारा 164 के अंतर्गत ब्यान दर्ज करने हेतु आवेदन नही करती है: यदि पुलिस धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में आवेदन करने में अनिच्छुक है तो एक अधिवक्ता के साथ उत्तरजीवी खुद कर सकता है। आवेदन को कम से कम एक उत्तरजीवी के हस्ताक्षरित वकालतनामा के साथ दायर करना चाहिए।

ब्यान तैयार रखें: पीड़ित तो 164 बयान देने से पूर्व उसकी तैयारी कराना अधिवक्ता के लिए सबसे उत्तम तरीका है। ये सुनिस्चित करें कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान देने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है और एक सच्चा बयान देने के लिए इच्छुक है।

बचाव की रात / दिन पर दिया गया गलत बयान: बचाए गये पीड़ित ने यदि बचाव के समय में एक गलत बयान दिया है या में बाद में अतिरिक्त जानकारी का खुलासा करता है तो कानूनी और गैर-सरकारी संगठन स्टाफ को मुक्त कराए पीड़ित को एक अनुपूरक बयान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

अनुपूरक बयान परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष दर्ज हों: अनुपूरक बयान पुलिस को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष दर्ज करना चाहिए।यदि पुलिस अनुपूरक बयान लेने से मना करे तो प्रोबेशन अधिकारी इसे अंकित कर सकता है और इसे पुलिस को दे सकता है। गैरसरकारी संगठन के कानूनी स्टाफ इस कार्य के लिए परिवीक्षा अधिकारी की सहायता कर सकते हैं आदर्श तरीका यह है की कि जिस तारीख पर परिवीक्षा अधिकारी ने बयान दर्ज किए हैं उसी तिथि पर परिवीक्षा अधिकारी बयान पर हस्ताक्षर कर दे।

प्रशिक्षित परामर्शदाता: केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित सलाहकारों को पीड़ितों के साथ बातचीत करनी चाहिए। किसी प्रशिक्षित काउंसलर के अभाव में, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसे अभिघात के लक्षणों को संभालने का अनुभव है भी एक उपयुक्त विकल्प होगा। हालांकि गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तरजीवी को उसके इलाज की योजना के रूप में व्यावसायिक परामर्श प्राप्त हो।

बयानों पीड़ित की जानकार भाषा में दर्ज किया जाना है: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बयान पीड़ित की भाषा में दर्ज हैं।

---

[5] (2001)10 एससीसी 732

[6] एआइआर 1996 एससी 1393

जबरिया / मजबूर बयान: यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए कि पीड़ितों को उसकी / उसके बयान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान आरोपी मौजूद नहीं हैं।

बयान ऐसे जगह पर दर्ज किया जाना चाहिए जो पीड़ित के लिए सुविधाजनक हों: अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़िता के बयान के रिकार्डिंग के लिए पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जाए। बयानों ऐसे जगह पर दर्ज किया जाना चाहिए जो पीड़ित के लिए सुविधाजनक हों जैसा कि सी.आर.पी.सी. की धारा 160 (1) के तहत प्रदत्त है।

धारा 164 के बयानों को पर्याप्त परामर्श के बाद दिया जाए: धारा 164 के तहत बयान तभी दर्ज किया जाना चाहिए अगर अधिवक्ता को तसल्ली है कि बचाए गये व्यक्ति को पर्याप्त रूप सेपरामर्श दिया गया है और पीड़ित मुकदमे में एक सटीक बयान उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

और जानें और कार्रवाई करें

पीड़ितों के बयान दर्ज: छुड़ाए गये लोगों के बयानों को तब रिकार्ड करें जब वे तैयार हों और बयान देने के लिए सक्षम हों। छुड़ाए गये व्यक्ति अतिरिक्त बयानों दे सकते हैं जब वे आघात की स्थिति से उबर जाएँ और भविष्य के बयानों में विरोधाभास आघात की स्थिति का हवाला देकर समझाया जा सकता है[7]।

बचाए गये लोगों के लिए परामर्श और मनोसमाजिक समर्थन हेतु कृपया देखें "न्याय के लिए यात्रा"[8], साइकोसोशियल हस्तक्षेप पर एक गाइड, यूएनओडीसी, 2008.

चरण 2.7 अपराधियों को हटाना और वेश्यालय को बंद करवाना

समयसीमा: जितना जल्दी संभव हो सके अपराधियों को बेदखल करे और उसी दिन वेश्यालय बंद कर दे, लेकिन एक वैश्यालय की सीलिंग में 60 दिन तक का समय लग सकता है।

गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अधिवक्ता को वेश्यालय को बंद, सील या निष्कासन करवाने की याचिका सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर स्थानांतरित कराने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी चाहिए।	अधिवक्ता को मजिस्ट्रेट को वेश्यालय बंद/सील करने के लिए याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को वैश्यालय[9] से पीड़ितों को सुरक्षित हटाना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को आई.टी.पी.ए. के तहत मजिस्ट्रेट से एक बेदखली आदेश लेना चाहिए। आई.टी.पी.ए. की धारा 18 (1) के तहत बेदखली सज़ा होने से पहले और प्राथमिकी दर्ज किए बिना भी संभव है। अधिवक्ता को आई.टी.पी.ए. की धारा 7 (2) के तहत एक आवेदन पत्र एक होटल या एक दुकान / प्रतिष्ठान के लाइसेंस के निलंबन के लिए दायर करना चाहिए अगर यह यौन-व्यापार और व्यक्तियों की व्यवसायिक देह शोषण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि अपराध में कोई बच्चे

[7] धारा 7.1, धारा 161 और 164 सीआरपीसी के तहत वक्तव्य को आलेखन, जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर यूएनओडीसी मानक संचालन प्रक्रिया (भारत और बीबीए की सरकार के साथ संयुक्त रूप से 2008 प्रकाशन), पेज 24 पर

[8] न्याय के लिए यात्रा: मनोदशा-सामाजिक हस्तक्षेप पर मैनुअल, 2008, ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और दक्षिण एशिया के लिए अपराध क्षेत्रीय कार्यालय के एक प्रकाशन; यहां उपलब्ध है: <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/Journey_to_Justice_-_Manual_on_Psychosocial_Intervention.pdf>

[9] आईटीपीए की धारा 15 (4) के तहत, वेश्यालय में पाए गये सभी व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से हटाना पुलिस के लिए अनिवार्य है।

	या नाबालिग प्रतिबद्ध हो तो इस तरह के मामले में आई.टी.पी.ए. की धारा 7(2) के तहत होटल या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द करने के लिए एक आवेदन लाया जा सकता है यदि यह यौन-व्यापार और व्यवसायिक यॉन शोषण हेतु उपयोग में लाया जा रहा है. यदि अपराध बच्चों या नाबालिक के विरुद्ध हो रहा है तो होटल या अन्या प्रतिष्ठानों का लाइसेन्स रद्द करने हेतु आवेदन किया जा सकता है।

चरण 2.8 अवैध यौन-व्यापार पीड़ित को मुआवजा देने के लिए आवेदन	
समयसीमा: यौन-व्यापार के पीड़ित के लिए मुआवजे के लिए दायर करने में 1 से 3 महीने का समय लग सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को धारा 357 सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत मुआवज़े के लिए आवेदन करने में अधिवक्ता की सहयता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को न्यायलय के समक्ष पीड़ितों की ओर से धारा 357 एवं 357 (A) सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत मुआवज़े के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
पीड़ित को मुआवजे के लिए अर्ज़ी दाखिल करने के लिए गैर सरकारी संगठन के के प्रतिनिधियों को अधिवक्ता के साथ संपर्क करते रहना चाहिए और जब भी पीड़ितों को उचित मंचों के समक्ष पेश होने के लिए कहा जाए उनका साथ देना चाहिए।	अधिवक्ता को उचित मंच के सम्मुख पीड़िता की ओर से मुआवजा आवेदन दायर करना चाहिए। परीक्षण के हिस्से के रूप में, पीड़ित मुआवजे के हकदार है। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षण के दौरान, मुआवजा के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं और सी.आर.पी. सी. की के धारा 357A, के तहत न्यायालय से आदेश दिया जाना चाहिए।

और जानें और कार्रवाई करें

बचाए गये पीड़ितों के पुनर्वास पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में जानने के लिए **अध्याय 5** का संदर्भ लें।

मुआवजा जो कि देह के अवैध व्यापार के पीड़ित को न्यायपालिका द्वारा दिया जा सकती है: सी.आर.पी.सी. की निम्नलिखित प्रावधानों के तहत न्यायाधीश यौन-व्यापार के पीड़ित के लिए मुआवजे के आदेश कर सकते हैं। प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

- **धारा 357 सी.आर.पी.सी.:** आरोपी के दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश यौन-व्यापार के पीड़ितों को मुआवजा के देने के एवज में आरोपी की सजा को कमकर सकते हैं इस आवेदन को अधिवक्ता द्वारा पीड़ित के नाम पर दर्ज किए जाना चाहिए।
- **357A सी.आर.पी.सी. के तहत:** इस धारा के तहत, न्यायाधीश को जिला या राज्य एल.एस.ए. (विधिक सेवा प्राधिकरणों) की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र प्रायोजित पीड़ित मुआवजा योजना की भाँति ही अतिरिक्त मुआवजा मिलने का अधिकार है।

357 और 357A के तहत मुआवजे पर केस कानून: सुप्रीम कोर्ट द्वारा ***अंकुश शिवाजी गायकवाड़ vs. महाराष्ट्र राज्य***[10] के मामले में बताया गया है, कि "सी.आर.पी.सी. में 2008 में लाया गया संशोधन आपराधिक मुकदमे, विशेष रूप देह अपराधों से संबंधित परीक्षणों, में पीड़ितों के अधिकारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है हालांकि 2008 के संशोधन में धारा 357 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पर धारा 357A को आरंभ किया गया है जिसके तहत इस तरह के मामलों में पीड़ित को मुआवजा देने के लिए न्यायालय को राज्य को निर्देशित देने करने के लिए सशक्त किया गया है जहां पर धारा 357 के तहत दिया गया मुआवजा का अधिनिर्णय इस तरह के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, या जहां मामले बरी किए जाने या निर्वहन में समाप्त होता है और पीड़ित का पुनर्वास किया जाना है।" इस प्रावधान के तहत, भले ही आरोपी को परीक्षित नही किया गया हो परंतु पीड़ित को

[10] अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 6 एससीसी 770

पुनर्वासित करने की जरूरत है, पीड़ित द्वारा खुद को राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से उसे नुकसान भरपाई को दिलाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

नमूना दस्तावेज और व्यवहारिक साहायता: पीड़ितों के लिए मुआवजे के लिए आवेदन के लिए एक प्रारूप **परिशिष्ट 30** में दिया गया है।

चरण 2.9 अवैध यौन-व्यापार आरोपपत्र की दाखिला	
समयसीमा: प्राथमिकी के दायर करने के 90 दिनों के भीतर पुलिस को आरोपपत्र दर्ज करना चाहिए	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को आरोप पत्र दाखिल करने के संबंध में अधिवक्ता से अनुसरण करना चाहिए।	अधिवक्ता को पुलिस और अभियोक्ता के साथ काम करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोप पत्र देरी किए बिना निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस द्वारा दायर की गयी है।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन को आरोप पत्र दाखिल करने के संबंध में अधिवक्ता से जानकारी लेती रहनी चाहिए आरोप पत्र बिना देरी के दाखिलकराया जाना सुनिश्चित करना चाहिए और आरोप पत्र को शीघ्र दाखिल करने के लिए जहाँ कहीं भी पुलिस अधिकारियों को आवश्यकता हो आवेदन करने में सहायता की करनी चाहिए।	अधिवक्ता को यह जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि घटना के जांच अधिकारी निर्धारित समय अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने के लिए विफल रहता है, तो अधिवक्ता को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए आदेशित करने के लिए तत्काल संपर्क करना चाहिए। यदि आरोप पत्र अभी भी दायर नहीं है, तो अधिवक्ता न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं। अधिवक्ता को आरोप पत्र की प्रति प्राप्त करनी चाहिए। यदि आरोप पत्र में तथ्यों द्वारा समर्थित सभी आरोप शामिल नहीं है तो उचित समय पर अधिवक्ता को उक्त आरोपों को शामिल करने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन करना चाहिए। विरोध याचिका को मजिस्ट्रेट के समक्ष उन विधि समबन्धी धाराओं को शामिल करने के लिए दायर किया जा सकता है जिनको छोड़ दिया गया था।
विचारणीय बिंदु	
चार्जशीट की कॉपी: अधिवक्ता को आरोप पत्र की एक प्रति प्राप्त करना चाहिए। यदि आरोप पत्र में तथ्यों द्वारा समर्थित सभी आरोप शामिल नहीं है तो अधिवक्ता को उचित आरोपों के साथ एक पूरक आरोप पत्र दायर करने के लिए एक आवेदन पत्र पुलिस को देना चाहिए। आरोप पत्र दाखिल करते समय अधिवक्ता की उपस्थिति: आरोप पत्र दाखिल करने के समय अधिवक्ता मौजूद होना चाहिए।	
और जानें और कार्रवाई करें	
नमूना दस्तावेजों और व्यवहारिक सहायता: चार्जशीट दाखिल करवाने के लिए लिखित प्रस्तुतियाँ पर एक प्रारूप के लिए **परिशिष्ट 23** का संदर्भ लें।	

चरण 2.10 ट्रायल के लिए उचित मंच सुनिश्चित करना	
समयसीमा: परीक्षण सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। परीक्षण शुरू करने के लिए समय अदालत के विवेकपर निर्भर है।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
	आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामला उचित अदालत के समक्ष प्रतिबद्ध है।
विवरण	
	आरोपपत्र दायर किए जाने के बाद, न्यायाधीश (जो सम्भवतः एक मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट या उप - संभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है) मामले का संज्ञान लेगा और मामले को उचित कोर्ट के समक्ष प्रतिबद्ध किया जाएगा। अधिवक्ता यह सुनिश्चित करे कि मामले को सत्र अदालत के समक्ष दायर करने की प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही चलाई जा रही है। जिन अपराधों को शामिल होना चाहिए उनमे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 के तहत अपराध, भारतीय दंड संहिता (विशेष रूप से धारा 370) और बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम, (अगर बचाए गये पीड़ितों मे नाबालिग हों) सम्मिलित है। अगर आरोप पत्र में धारा 370 का उल्लेख किया है, तो न्यायाधीश मामले को सत्र अदालत के समक्ष प्रतिबद्ध करेगा.
विचारणीय बिंदु	
यदि आरोप पत्र में धारा 370 या कोई अन्य लागू अपराध दर्ज नहीं हैं: सी.आर.पी.सी. की धारा 216 न्यायाधीश आरोपों को जोड़ने का अधिकार देता है। आरोपों को सम्मिलित करने के लिए धारा 216 के तहत एक आवेदन अदालत में दिया जा सकता है। **यदि धारा 370 और अन्य किसी भी लागू अपराधों के आरोप पत्र में शामिल नहीं हैं**: सी.आर.पी.सी. की धारा 216 न्यायाधीश आरोपों को जोड़ने की शक्ति देता है। धारा 216 के तहत किसी आवेदन में अदालत में लगाए गये आरोपों में वृद्धि की जा सकती है। **सत्र अदालत के समक्ष मामले को प्रतिबद्ध (कमिट) करना:** की धारा 209 के अनुसार सी.आर.पी.सी. का कोई मामला सत्र अदालत के लिए प्रतिबद्ध किया जा सकता है जब मामले में विशेष रूप से इसी द्वारा विचारण किया जाना हो जब आरोप पत्र में धारा 370 का उल्लेख किया गया हो तब मामला सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचरण किया जाना है।	

और जानें और कार्रवाई करें
अवैध देह व्यापार पर अपराधों के लिए क़ानून: देह के अवैध व्यापार से संबंधित कानून और अपराधों के बारे में अधिक जानने के लिए अध्याय 4 देखें। **विशेष अपराधों के लिए उचित मंच:** किस तरह के मामलों को किस अदालता ने विचरण करना हैं यह जानने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची (सी.आर.पी.सी.) को देखें।

चरण 2.11 अवैध यौन-व्यापार आरोपों का निर्धारण	
समयसीमा: आदर्श रूप में, आरोप पत्र दाखिल करने से तीन महीने के भीतर न्यायालय द्वारा आरोपों को तय किया जाना चाहिए।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अधिवक्ता के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए की अदालत द्वारा अपराधियों पर आरोप तुरंत तय किए जाए।	अधिवक्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों के खिलाफ अदालत द्वारा आरोप समय पर तय हो और सभी लागू अपराध आरोपों में शामिल हों।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को आरोप तय करने की तारीख पर उपस्थित होना चाहिए और अधिवक्ता के साथ मिलकर अदालत की प्रक्रिया जितनी जल्दी संभव हो आगे बढ़ाना सुनिश्चित करना चाहिए।	अधिवक्ता को आरोप तय करने की तारीख पर अदालत में उपस्थित होना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी ज़रूरी आरोपों को सम्मिलित कर लिया गया है। अधिवक्ता को सत्कर्तापूर्वक सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि अदालत की प्रक्रिया बिना किसी देरी के आगे बढ़े।

विचारणीय बिंदु

अदालत से जल्दी तारीख़े लेना और अनुचित देरी को रोकना: सुनिश्चित करें कि कोर्ट मामले को स्थगित नहीं करती जा रही है, और अगर यह होता है तो जल्दी जल्दी तारीखों के लिए ज़ोर लगाया जाए जिससे की आरोप तैयार तय किए जा सके. धारा 309 (1) सी.आर.पी.सी. के तहत, *"हर जांच या परीक्षण में... कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी..."* सी.आर.पी.सी. भी कुछ निश्चित परिस्थितियों में स्थगन का माँग को प्रतिबंधित करती है[11]।

दोषी की दलील: आरोप तय करने के बाद, सत्र अदालत को आरोपी से पूछना होगा कि क्या वह तय किए गये आरोप के लिए दोष स्वीकार करता है. यदि आरोपी ने दोष स्वीकार किया तो परीक्षण इस बिंदु पर खत्म हो जाएगा अन्यथा विचरण आगे चलेगा।

और जानें और कार्रवाई करें

यौन-व्यापार अपराधों के बारे में: यौन-व्यापार अपराधों के बारे में पढ़ने के लिए अध्याय 4 और 5 को देखे।

एक सत्र अदालत में ट्रायल में दोषी होने की दलील बनाने के बारे में पढ़ने के लिए, सी.आर.पी.सी. की धारा 229 का सन्दर्भ देखे।

चरण 2.12 अवैध यौन-व्यापार सुनवाई में अभियोजन की सहायता करना	
समयसीमा: यह सहायता को मामले की पूरी सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
एक बार परीक्षण शुरू होने पर, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को सारी सुनवाई के दोरान अदालत में उपस्थित होना चाहिए।	अधिवक्ता को सुनवाई की हर तारीख पर अदालत में अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए उपस्थित होना चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन को ऐसे प्रतिनिधि जो की मामले के तथ्यों और ताजा अपडेट के बारे में जानकार हो, भेजना चाहिए। यह अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की अदालत द्वारा पूछे गये	अधिवक्ता को परीक्षण के हर स्तर पर उपस्थित होना चाहिए और जितना संभव हो हर सुनवाई से पहले लोक अभियोजक से मुलाकात करनी चाहिए.

[11] सीआरपीसी धारा 309 (1) और 309 (2)

प्रश्नो विशेष रूप से उत्तरजीवी लोगों के साक्ष्य के संबंध में देने में मदद कर सकता है।	धारा 301 (2) सी.आर.पी.सी. के तहत एक अधिवक्ता को अभियोजन की सहायता करने की अनुमति है.

चरण 2.13 अवैध यौन-व्यापार गवाहों को गवाही देने के लिए तैयार करना

समयसीमा: अवैध देह व्यापार के उत्तरजीवी को तैयारी में 1 महीने का समय लग सकता है।

गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
परीक्षण शुरू होने पर गैर सरकारी संगठन को गवाहों को सच्चाई, हिम्मत और स्पष्टता के साथ गवाही देने की तैयारी में सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को मुख्य परीक्षा और जिरह के लिए गवाहों को सच्चाई, हिम्मत और स्पष्टता के साथ गवाही देने की तैयारी करने में अभियोजन पक्ष की सहायता करनी चाहिए।
टिप्पणी	
एफ.आई.आर. दायर करने के समय साक्षय बनाए गये गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि को दर्ज ब्यान के अनुसार अदालत के समक्ष अवश्य गवाही देनी चाहिए। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को अदालत में पीड़ितों के साथ रहेगा। प्रतिनिधि को बाहरी पीड़ितों को गवाह के रूप में गवाही देने के लिए अदालत में सुरक्षित रूप से लाया जाना सुनिश्चित करना होगा. गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को गवाहों का आरोपियों द्वारा प्रभावित ना होने देना सुनिश्चित करना है। गैर-सरकारी संगठन के प्रशिक्षित और योग्य सलाहकारों द्वारा को उत्तरजीवी लोगों को प्रमुख परीक्षण और जिरह के लिए तैयार करना चाहिए ताकि चल रही कार्यवाही के तनाव के बावजूद वे आघात सहने के बावजूद भी निर्भीकता और सटीकता से गवाही, विशेष रूप से बचाव पक्ष के वकील द्वारा पूछे गये सवालो का जबाब दे सकें। एक बार जब गवाही हो जाने के बाद गैर सरकारी संगठन के कर्मचारियों को उत्तरजीवी और उसके परिवार (यदि उपस्थित हो) को उस बारे में जानकारी देनी चाहिए।	अधिवक्ता को मुख्य परीक्षण और जिरह की प्रक्रिया के लिए उत्तरजीवी लोगों को तैयार करने के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ काम करना चाहिए। आदर्श रूप से यह तैयारी एक ऐसे जगह पर की जानी चाहिए जो उत्तरजीवी के लिए सुविधाजनक हो। अधिवक्ता को गवाही देने वाले व्यक्तियों गवाही को सबूत बनाने में के लिए उनके बयान के महत्व स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए और इस मामले के बारे में नवीनतम प्रगति से अवगत रखने चाहिए। अधिवक्ता को अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की गवाही की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए। जहाँ भी लागू हो, अधिवक्ता को फास्ट ट्रैक अदालत में मामले का संचालन करने के लिए आवेदन दाखिल करना चाहिए। अगर पीड़ित अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है तो अधिवक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीड़ित के सबूत रिकॉर्डिंग के अवसर तलाशने चाहिए। अधिवक्ता सबूत (क्रॉस और मुख्य प परीक्षण) के संबंध में अदालत की सारी कार्यवाही में भाग लेना चाहिए। एक ही अधिवक्ता जिसने पीड़ित को तैयार किया है को अदालत में उसके साथ करना चाहिए। यह निरंतरता को बनाए रखता है और बचाए गये पीड़ित का विश्वास बनाने में मदद करता है।

विचारणीय बिंदु

नाटकीय न्यायिक सुवाई एवं अदालत की यात्रा: उत्तरजीवी को सहज बनाने की दिशा में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठन और अधिवक्ता को उत्तरजीवी को अदालत कक्ष में पहले ले जाना चाहिए जिससे जब उनको गवाही देने के लिए जाना है तो उनको यह महसूस नही हो कि वे पहली बार किसी अदालत कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं यह तनाव को कम करने में मदद करता है। दूसरे, किसी सुविधाजनक स्थान में एक रिहर्सल परीक्षण को आयोजित किया जाना चाहिए की उत्तरजीवी बेहतर ढंग से आरोपियों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो सके।

जब मामला बच्चों से संबंधित हो तो संवेदनशील उपायों को अपनाया जाना चाहिए[12]:

a. पीड़ित बच्चे/गवाहों अदालत की कार्यवाही के संबंध में उनकी भूमिका के बारे में पूरी जानकारी रहे;
b. उनके विचारों को सुने जाने की अनुमति दी जाए और सम्मान दिया जाए
c. उन्हें असुविधा कम से कम है और उनकी निजता को सम्मान दिया जाता है;
d. कार्यवाही में देरी को कम किया जाए;
e. पीड़ित बच्चे से आक्रामक पूछताछ या प्रति-परीक्षा जिरह को टाला जाए और यदि आवश्यक हो तो, न्यायाधीश के माध्यम से ही किया जाए
f. कैमरे में परीक्षण के लिए प्रावधान बने हुए हैं;
g. पीड़ित बच्चे की पहचान सुरक्षित रहे;
h. पीड़ित बच्चे को न्यायिक प्रक्रिया और कथित दुर्व्यवहारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए तैयार किया जाए और जल्दबाज़ी ना की जाए अगर एक बच्चे अदालत में जाने के लिए तैयार नहीं है तो जल्दबाज़ी ना की जाए;
i. जाँचकर्ता पीड़ित बच्चे की चिकित्सीय जांच की जरूरत को सुनिश्चित करता है और जब जांच हो जाती है तो यह सुनिश्चित करता है कि बारंबार परीक्षा देने से बचा जाए;
j. चिकित्सीय जाँच जहाँ तक संभव हो माता-पिता / अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता / परामर्शदाता की उपस्थिति में आयोजित की जानी चाहिए;
k. अन्य गवाहों के साथ गाली-गालोज की घटना के बाद बच्चे की गवाही एक सामाजिक कार्यकर्ता / परामर्शदाता की उपस्थिति के रूप में जितनी जल्दी संभव हो दर्ज की जानी चाहिए;
l. जहाँ जरूरत हो पर्याप्त अनुवाद / व्याख्याएं और अनुवादकों / दुभाषियों जो बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो की व्यवस्था की जानी चाहिए;
m. एक मानसिक रूप से विकलांग बच्चे के मामले में, सक्षम सेवा प्रदाता को बच्चे की ओर से साक्ष्या करना चाहिए;
n. पीड़ित बच्चे/गवाहों की विशेष जरूरतों/गवाहों को पूरा किया जाना चाहिए।

इनमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए : -

i. बच्चों के अदालत परिवेश के साथ खुद को परिचित करने के लिए सहायात करें;
ii. बच्चों को अदालत में महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे की न्यायाधीश, बचाव पक्ष के वकील और अभियोजक के विभिन्न भूमिकाओं के बारे में सूचित करें;
iii. सामान्य रूप के बच्चों में और विशिष्ट मामलों में अलग-अलग बच्चों की विशेष जरूरतों की अदालत को सूचित करें;
iv. कार्यवाही के दोरान सहज होने के लिए बच्चों की मदद करें;
v. गवाह के रूप में बच्चे भ्रमित ना हों इसके लिए उनसे छोटे-छोटे सवाल पूछने को बड़वा दिया जाए**;**
vi. आठ साल से कम उम्र के बच्चों को मुख्य सवालों का जवाब देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से जवाब देने की अनुमति दें;

मुख्य परीक्षण: मुख्य परीक्षण के दौरान अधिवक्ता गवाहों से पूछे जाने के लिए, लिखित प्रश्न देकर, पी.पी. की सहायता कर सकते हैं।

प्रति- परीक्षण: प्रति- परीक्षण का उद्देश्य अभियोजन पक्ष की कहानी में खामियों निकालना है। अच्छा ये रहेगा कि एक रिहर्सल नकली जिरह का आयोजन किया जाए जिससे की गवाह असली प्रक्रिया से परेशान ना हो और और बचाव पक्ष के वकीलों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहे।

गवाह: गवाहों में छुड़ाए गये उत्तरजीवी, पंच गवाह, डेकॉय ग्राहक, जांच अधिकारी और अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए आवश्यक कोई भी अन्य गवाह शामिल हैं।

और जानें और कार्रवाई करें

दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला फोरम vs. भारत संघ मामले में[13] माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:

[12] इन उपायों को बच्चों के लिए कोर्ट के द्वारा प्रदान किए गया दिशा निर्देशों के आधार पर गोवा बच्चों के अधिनियम, 2003 के तहत पालन करने के लिए बनाए गये हैं. ये मार्गदर्शक उपाए हैं की बच्चों के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाना

[13] 1995 एससीसी (1) 14

" पीड़ितों के वकील की भूमिका केवल उसे कार्यवाही के तौर तरीके के बारे में बताना, मामले के लिए तैयार करना, पुलिस थाने और अदालत में सहायता करना ही नही, अपितु उसका मार्गदर्शन करने हेतु है कि कैसे वह दूसरे संस्थानो से अलग तरह की सहायता उदाहरण के लिए दिमागी परामर्श या चिकित्सा सहायता कर सकती है, बताना भी है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मदद निरंतरता में हासिल की जाए जिससे कि वही व्यक्ति जिसने पुलिस थाने में शिकायतकर्ता के हित देखा था वह उसके मामले का अंत तक प्रतिनिधित्व करता रहे"।

मुख्य परीक्षण और गवाहों की जिरह के लिए विशिष्ट प्रावधानों के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारायें 137-146 (अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ) को पढ़ने के लिए सुनिश्चित करें।

शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए गवाहों का रोजाना परीक्षण: सी.आर.पी.सी. की धारा 309 (1) के तहत, "एक बार गवाहों की परीक्षण शुरू हो जाने पर इसको रोजाना जारी रखना है जब तक की सभी उपस्थित गवाहों हैं की गवाही पूरी हो ना जाए", और कोई भी स्थगन बिना लिखित कारण के ना हो।

एक अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी. और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत परीक्षण के विभिन्न चरणों से परिचित होना चाहिए।

किसी विचरण के दौरान यौन उत्पीड़न की व्यापार से संबंधित तमाम प्रश्नो को अभ्यास के तौर पे पूछने के लिए जे.वी.आइ. से संपर्क करें।

चरण 2.14 अवैध यौन-व्यापार साबित करने के लिए अंतिम जिरह दाखिल करना	
समयसीमा: अंतिम बहस का मसौदा तैयार करना वकील पर निर्भर हैं लेकिन उसे परीक्षण के समापन और अंतिम फैसला सुनाए जाने से पहले प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को परीक्षण के अंत में अंतिम तर्क की तैयारी में विस्तार से लिखित निवेदन को तैयार करने के लिए अधिवक्ता की सहायता हेतु अधिक से अधिल जानकारी दी जानी चाहिए।	अधिवक्ता को लिखित अंतिम तर्क के लिए अभियोजन के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए (या सीधे अदालत में यदि अभियोजन सहयोग ना करे)। अधिवक्ता को अगर अदालत द्वारा अनुमति हो तो अंतिम मौखिक बहस भी करनी चाहिए।
टिप्पणी	
अधिवक्ता द्वारा लिखित बयान तैयार करने के लिए गैर सरकारी संगठन द्वारा जितना संभव हो जानकारी प्रदान करना चाहिए।	अधिवक्ता मसौदा तैयार कर और उचित प्रारूप में लिखित रूप में (चाहे वह अंतिम हो या अंतरिम), न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। अधिवक्ता को अदालत में उपस्थित होकर अंतिम मौखिक तर्क बनाने में पी.पी. की सहायता करनी चाहिए जिससे की पूरे अभियोजन पक्ष के मामले की सच्चाई पर कोर्ट को राज़ी किया जा सके।

विचारणीय बिंदु

क़ानूनी स्थिति और उचित निष्कर्षण के साथ अनुपूरक लिखित प्रस्तुतियाँ: अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए लिखित प्रस्तुतियों को पर्याप्त क़ानूनी स्थिति और गवाह के सबूत के प्रासंगिक निष्कर्षों के साथ पूरक होना चाहिए।

सी.आर.पी.सी. की धारा 301 (2) के तहत पीड़ित/शिकायतकर्ता के लिखित तर्क को साक्ष्य पूरे होने के बाद भी दर्ज किया जा सकता हैं (न्यायालय की अनुमति के साथ)

और जानें और कार्रवाई करें

लिखित बयान और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के प्रारूप देखने के लिए **परिशिष्ट 31** का संदर्भ लें।

चरण 2.15 अंतिम निर्णय की प्राप्ति	
समयसीमा: फैसले के अधिकारिक प्रति प्राप्त करने में 15 दिन का समय लग सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को न्यायालय से अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र बनाना चाहिए।
टिप्पणी	
फैसला सुनाए जाने के बाद गैर सरकारी संगठन को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को न्यायालय से अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना चाहिए।

अधिक जानने और कार्यवाही करें

अधिवक्ता को अधिकार क्षेत्र का कोर्ट की अपेक्षा के अनुसार अपील की स्वरूपों के बारे में पता होना चाहिए।

यदि निर्णय दिए जाने के बाद और जानकारी की आवश्यकता हो तो जे.वी.आइ से संपर्क करें।

चरण 2.16 अपील की फाइलिंग	
समय: निर्णय पारित होने के 60 दिन के अंदर अपील को दर्ज किया जाना चाहिए।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अधिवक्ता की अपील की तैयारी, यदि आवश्यक हो, करने में सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को प्रतिकूल निर्णय पर, यदि आवश्यक हो, अपील दायर करना चाहिए।
टिप्पणी	
यदि पीड़ितों के साथ साथ गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील दर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अधिवक्ता से संपर्क करें.	अधिवक्ता को निर्धारित समय के भीतर जल्द से जल्द निर्धारित प्रारूप में अपील या पुनर्विचार याचिका दायर कर देना चाहिए।

विचारणीय बिंदु

एक बार परीक्षण समाप्त हो गया तो, अधिवक्ता इस बारे में सुनिश्चित करने के लिए जागरूक रहे की आरोपी द्वारा दायर की गई अपील छूटने ना पाए और यदि बचाए गये लोगों की की ओर से कोई अपील दायर की जानी है तो उसे तय समय सीमा के भीतर दायर किया जाए[14]।

यदि अपील आरोपी की ओर से दायर की जाती है तो, अधिवक्ता को अपील का विरोध करने के लिए तैयार होना चाहिए। हालांकि, अगर आरोपी को बरी कर दिया है तो अधिवक्ता बरी किए जाने के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय में दायर कर सकता है ।

[14] एक निचली अदालत के फैसले के बाद एक अपील दाखिल करने के लिए अनुमति के लिए दिया गया समय

और जानें और कार्रवाई करें

अधिवक्ता को अधिकार क्षेत्र की अपेक्षित कोर्ट के अनुसार अपील या **पुनर्विचार याचिका** के प्रारूप के बारे में पता होना चाहिए।

पुनर्विचार याचिका सी.आर.पी.सी. की धारा 397 से 401 में दिए गये आधारों के तहत दायर किया जा सकता है।

यदि आगे की जाने वाली कार्याही के लिए जैसे कि यदि एक अपील या संशोधन दायर करने करने के लिए या अपील/संशोधन प्रारूपों देखने के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता होती है तो जे वी आइ से संपर्क करें।